न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 07/2016 दायरा दिनांक 03.08.2016

पीठासीन अधिकारी :– श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

भगवानलाल पुत्र उदयराज जाति काछि निवासी हनोतियां तहसील शाहबाद जिला बारां

– अपीलाण्ट

बनाम

1. मंगल पुत्र मदनलाल जाति काछि निवासी हरियानगर तहसील शाहबाद जिला बारां।
2. कल्लो पत्नि गुलबा पुत्र मदनलाल जाति काछि निवासी सन्दोकडा तहसील शाहबाद जिला बारां
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहबाद।

– रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–

श्री अरविन्द्र शर्मा – अभिभाषक अपीलान्ट।
श्री हेमराज नामदेव – अभिभाषक रेस्पोडेण्ट।

निर्णय दिनांक 29.09.2022

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 27.05.2013 तहसीलदार शाहबाद किये जाने शुद्धि जमाबन्दी रिकार्ड

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 27.05.2013 ग्राम हनोतियां को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेण्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।

तहसीलदार शाहबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2013 अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्तनीय है। ग्राम हनोतिया में खसरा नम्बर 22 की 9.05 बीघा, खसरा नम्बर 28 की 7.08 बीघा, खसरा नम्बर 160 की 0.08 बीघा, खसरा नम्बर 162 की 0.13 बीघा, खसरा नम्बर 168 की 0.02 बीघा, खसरा नम्बर 169 की 0.02 बीघा, खसरा नम्बर 170 की 0.15 बीघा कुल किता 7 कुल रकवा 18.13 बीघा भूमि अपीलान्ट के हिस्से 2/3 व मृतक माना के हिस्से 1/3 से सम्वत् 2066–69 जमाबन्दी में दर्ज थी। भू राजस्व नियमानुसार रेस्पोडेण्ट्स क्रम 3 को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी, राजस्व रिकार्ड में जरिये शुद्धि पत्र दुरूस्त करने का अधिकार नहीं है। उक्त रिकार्ड जमाबन्दी 2066 से 69 अनुसार ही अपीलान्ट 2/3 हिस्से से सेटलमेन्ट के समय से ही खातेदार होकर काबिज काश्त चला आ रहा था रेस्पोडेण्ट क्रम 1 जिसका उक्त वर्णित आराजी में कोई हक अधिकार नहीं था खातेदार नहीं था के आवेदन पर अपीलाधीन शुद्धि आदेश प्रदान करने में भारी त्रुटि की है। रेस्पोडेण्ट क्रम 1 खातेदार नहीं था उसे प्रार्थना पत्र पेश करने को कोई हक प्राप्त नहीं था। राजस्व रिकार्ड में किसी भी परिवर्तन से पूर्व समस्त खातेदार को विधिवत् नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था लेकिन रेस्पोडेण्ट क्रम 3 ने बिना विधिक प्रकिया अपनाये सुनवाई का अवसर दिये बिना खातेदारान को सूचित किये बिना मनमाने तौर पर बिना किसी विधिक आधार के अपीलान्ट का हिस्सा 2/3 के स्थान पर 1/3 दर्ज कर दिया तहसीलदार शाहबाद का उक्त आदेश अवैध मनमाना व विधि विरूद्ध होकर निरस्तनीय है। विवादित भूमि सैटलमेन्ट के समय से अपीलान्ट के हिस्से 2/3 दर्ज चली आ रही है। रेस्पोडेण्ट क्रम 3 ने सर्वथा अवैध रूप से मदनलाल की मृत्यु के पश्चात् मदन का नाम बिना किसी विधिक आधार के दर्ज करने का आदेश प्रदान किया मृतक व्यक्ति का नाम [illegible] जा सकता है। उपखण्ड अधिकारी शाहबाद द्वारा भी प्रकरण शुद्धि पत्र के द्वारा समाधान [illegible] मानकर न्यायालय में कार्यवाही का आदेश किया लेकिन रेस्पोडेण्ट के अवैध रूप [illegible] कर दिया जो निरस्तनीय है। अपीलाधीन आदेश का ज्ञान दिनांक 25.07.2016 को शुद्धि [illegible] की नकल मिलने पर हुआ तिथि जानकारी से अपील अवधि मध्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.12 09:57:32 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने पर देरी को माफ करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत पृथक से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जो शामिल पत्रावली है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आवंटन की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.07.2016 को तत्पश्चात् नकल प्राप्त करने पर हुई। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 में वर्णित कारणों से हम सहमत हैं। अतः प्रस्तुत अपील में डिले को माफ करते हुए अवधि मध्य मानी जाकर अपील विचारार्थ स्वीकार की जाती है।

प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 1 अस्वीकार है, तहसीलदार शाहबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2013 विधि एवं न्याय के स्वीकृत सिद्वान्तों के अनुरूप होने से यथावत रखे जाने योग्य है।

अपील की चरण क्रम 2 में वर्णित आराजियात ग्राम हनोतिया किता 7 रकबा 18.13 बीघा भूमि अपीलाण्ट के नाम हिस्सा 2/3 व मृतक माना के नाम हिस्सा 1/3 से जमाबन्दी सम्बत 2066–69 में दर्ज होना स्वीकार है, परन्तु उक्त इन्द्राज सहवन से लिपिकीय त्रुटिवश गलत दर्ज हो गया था, क्योंकि वादग्रस्त उक्त आराजियात के मूल खातेदार नथुवा पुत्र गोकलिया काछि वास ग्राम हनोतिया थे, नथुवा की मृत्यु उपरान्त वादग्रस्त आराजी का फौती नामान्तरकरण नम्बर 223 उनके तीनों बेटों क्रमशः रतनलाल, उदयराज व नावालिग मदनलाल के नाम विधिवत खोल दर्ज किया गया और अमल जमाबन्दी सम्बत 1997–2000 तत्पश्चात भू–प्रबन्धक सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्बत 2020–39 में दर्ज किया गया है परन्तु सेटलमेन्ट पश्चात् संधारित जमाबन्दी सम्बत् 2025–28 में खातेदार मदनलाल का नाम लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज होने से रह गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय में विधिवत जांच एवं तहकीकात पश्चात् जर्ये शुद्विपत्र विधिवत दुरूस्त किया है, इस कारण प्रश्नगत आदेश यथावत रखे जाने योग्य है।

अपील की मद नम्बर 3 नितान्त असत्य एवं मनगढन्त होने से अस्वीकार है। धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम में उल्लेख है कि भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकारी अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान रजिस्टर करे। इस प्रकार उक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय उपखण्ड अधिकारी ने निर्देशानुसार विधिक प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है, जो यथावत रखे जाने योग्य है।

अपील मद नम्बर 4 अस्वीकार है। अपीलान्ट का यह कथन नितान्त असत्य है कि विवादित भूमि सेटलमेन्ट के समय से अपीलान्ट के हिस्से 2/3 दर्ज चली आ रही थी, क्योकि विवादित आराजी सेटमेन्ट जमाबन्दी सम्बत 2020–2039 में मांगीलाल व माना पिसरान रतनलाल हिस्सा 1/3 बराबर व उदयराज, मदनलाल पि0 नथुवा हिस्सा 2/3 हिस्सा बराबर कौम काछि सा0 देह मु0 खातेदार से दर्ज रही है, अर्थात् सेटलमेन्ट जमाबन्दी में अपीलाण्ट का नाम दर्ज न होकर अपीलान्ट के पिता उदयराज का नाम हिस्सा 1/3 पर दर्ज है तथा रेस्पोडेण्ट के पिता मदनलाल का नाम हिस्सा 1/3 पर स्पष्ट रूप से दर्ज है, तत्पश्चात् संधारित रोटेशन जमाबन्दी 2025–28 में बिना किसी सक्षम स्वीकृति के रेस्पोडेण्ट के पिता मदनलाल का नाम हटा दिया था, जिसे पूर्ण जांच व तहकीकात पश्चात् प्रश्नगत आदेश से पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर जोडा गया है। इस मद में अपीलाण्ट ने उपखण्ड अधिकारी के आदेश को भी माननीय न्यायालय के समक्ष तोड–मरोड कर गलत रूप से पेश किया है, जबकि उपखण्ड अधिकारी ने उक्त प्रकरण तहसीलदार के क्षेत्राधिकार का मानते हुये नियमानुसार कार्यवाही हेतु वापस लौटाया था, जो विधिवत है।

अपील मद नम्बर 5 अस्वीकार है अपीलाण्ट ने दिनांक 25.07.2016 को अपीलाधीन आदेश के सर्वप्रथम ज्ञान होने का कथन किया है। जबकि दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में सर्वप्रथम ज्ञान होने का दिनांक अंकित ही नही है, इस कारण उक्त अपील मियाद के बिन्दु पर ही प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। [illegible] अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये रेस्पोडेण्ट क्रम [illegible] पेश करने का कोई हक प्राप्त नहीं था। राजस्व रिकार्ड में किसी भी [illegible] पूर्व समस्त [illegible]तेदार को विधिवत् नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था लेकिन [illegible] विधिक प्रकिया अपनाये सुनवाई का अवसर दिये बिना खातेदारान को सूचित किये बिना मनमा[illegible] पर बिना किसी विधिक आधार के अपीलान्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.12 09:57:32 IST
Reason: SelfAttested

का हिस्सा 2/3 के स्थान पर 1/3 दर्ज कर दिया तहसीलदार शाहबाद का उक्त आदेश अवैध मनमाना व विधि विरूद्ध होकर निरस्तनीय है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने कथन किया कि धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम में उल्लेख है कि भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकारी अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान रजिस्टर करे। इस प्रकार उक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय उपखण्ड अधिकारी ने निर्देशानुसार विधिक प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है। अपीलान्ट का यह कथन नितान्त असत्य है कि विवादित भूमि सेटलमेन्ट के समय से अपीलान्ट के हिस्से 2/3 दर्ज चली आ रही थी, क्योकि विवादित आराजी सेटमेन्ट जमाबन्दी सम्बत 2020–2039 में मांगीलाल व माना पिसरान रतनलाल हिस्सा 1/3 बराबर व उदयराज, मदनलाल पि0 नथुवा हिस्सा 2/3 हिस्सा बराबर कौम काछि सा0 देह मु0 खातेदार से दर्ज रही है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान वकीलों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का आद्यन्त अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट का कथन है कि रेस्पोडेण्ट क्रम 3 ने बिना विधिक प्रकिया अपनाये सुनवाई का अवसर दिये बिना खातेदारान को सूचित किये बिना मनमाने तौर पर बिना किसी विधिक आधार के अपीलान्ट का हिस्सा 2/3 के स्थान पर 1/3 दर्ज कर दिया तहसीलदार शाहबाद का उक्त आदेश अवैध मनमाना व विधि विरूद्ध होकर निरस्तनीय है। अपीलान्ट का यह कथन नितान्त असत्य है कि विवादित भूमि सेटलमेन्ट के समय से अपीलान्ट के हिस्से 2/3 दर्ज चली आ रही थी, क्योकि विवादित आराजी सेटमेन्ट जमाबन्दी सम्बत 2020–2039 में मांगीलाल व माना पिसरान रतनलाल हिस्सा 1/3 बराबर व उदयराज, मदनलाल पि0 नथुवा हिस्सा 2/3 हिस्सा बराबर कौम काछि सा0 देह मु0 खातेदार से दर्ज रही है। जबकि उपखण्ड अधिकारी ने उक्त प्रकरण तहसीलदार के क्षेत्राधिकार का मानते हुये नियमानुसार कार्यवाही हेतु वापस लौटाया था, जो विधिवत है। जो उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है अपीलाधीन शुद्धि जमाबन्दी रिकार्ड ग्राम हनोतियां आदेश दिनांक 27.05.2013 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर मजमे आम सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.12 09:57:32 IST
Reason: SelfAttested